भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2170

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

†2170. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य के बोझ का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि मुख्य रूप से मानसिक बीमारी पर केंद्रित मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत तनाव, मनोवैज्ञानिक संकट और चिंता सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से पर पर्याप्त ध्यान नहीं मिल पा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) 'मानसिक बीमारी' के अलावा देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की व्याप्तता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में डेटा के प्रकाशन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरु के माध्यम से किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 12 राज्यों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों में सामान्य मानसिक विकार, गंभीर मानसिक विकार, और शराब एवं मादक पदार्थ उपयोग संबंधी विकार (तम्बाकू उपयोग विकार को छोड़कर) सहित मानसिक विकारों की प्रसार दर लगभग 10.6% है। विभिन्न मानसिक विकारों के लिए उपचार अंतराल 70% से 92% के बीच था।

मानसिक विकारों के भार को कम करने के लिए भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनोसामाजिक अंत:क्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाइयां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, कार्यबल विकास योजना-क के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कार्यबल विकास योजना-ख के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों का भी सहयोग किया है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.8 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के विभिन्न कैडरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है, जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिजिटल आर्म के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य 24 x 7, टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से सभी को समान, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इसके लिए देश भर में एक टोल-फ्री नंबर (14416) स्थापित किया गया है।

दिनांक 27.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 42 लाख से अधिक कॉल हैंडल की जा चुकी हैं।

सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे अच्छे स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के लिए सहायता प्रदान

करने हेतु विकसित किया गया है। सरकार ने टेलीमानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक उन्नत संस्करण है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 (एनएमएचएस 2) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), बेंगलुरू के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी राज्यों (28) और संघ राज्य क्षेत्रों (8) में किशोरों (13 से 17 वर्ष) और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को शामिल किया जाता है। एनएमएचएस-2 जांच के फोकस का विस्तार मानसिक बीमारी की स्थिति पर जन स्वास्थ्य प्राथमिकता तक किया गया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं जैसी कमजोर आबादी के मानसिक स्वास्थ्य, जरावस्था संबंधी मानसिक स्वास्थ्य, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, जनजातीय आबादी के बीच मानसिक स्वास्थ्य और आपदाओं के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित विषयगत अध्ययन शामिल हैं।
